राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा तथा शिक्षक की भूमिका

अनिल नौटियाल*
शोभारानी सभ्रवाल**

कोई भी राष्ट्र शिखरता के उच्च स्तर तक तभी पहुँच सकता है जबकि उसमें रहने वाले उसके सभी निवासी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों। एक सफल शिक्षक अपने छात्रों के विचारों और भावनाओं को अपने सुविचारित अध्यापन और प्रेरणात्मक कार्यों द्वारा सहज ही राष्ट्रीय एकता की ओर उन्मुख कर सकता है। आत्मतत्व के स्तर पर राष्ट्रीयता का विकास भागीरथ प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का सफल विकास ही राष्ट्रीय एकता का जनक है। एक दृढ़ प्रतिज्ञ शिक्षक इस अभीष्ट को तभी प्राप्त कर सकेगा जबकि उसे अपने प्रयत्नों पर अडिग विश्वास हो, तभी उसके छात्रों में वह परिलक्षित होता है।

किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाले सभी निवासी अपना सब कुछ उसके कल्याण के लिए न्यौछावर करने को तैयार रहें। कोई राष्ट्र तब तक नहीं पनप सकता जब तक कि इसके नागरिक इसकी और घनिष्ठ प्रेम और श्रद्धा न रखें और कोई राष्ट्र प्रफुल्ल नहीं रह सकता जब तक उसके निवासी उसकी सेवा में प्रसन्नता से अपना तन, मन, धन अर्पित करने को तैयार न हों। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सभी युगों में लगभग संसार के सब देशों में सदैव राष्ट्रीयता का एक बहुत पावन, बहुत वांछित गुण नागरिकों में विकसित करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है किसी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में 'हम' की भावना का होना। जब किसी राष्ट्र के सभी व्यक्ति क्षेत्र, जाति, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी राष्ट्र के नाम पर हम की भावना से जुड़े होते हैं, एक होते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपने वैयक्तिक एवं सामूहिक हितों का त्याग करते हैं, तब उसे कहते हैं कि उस राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता किसी भी राष्ट्र का मुख्य तत्व होता है बिना इसके राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसके अभाव में कोई राष्ट्र बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता।

* *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* हे.न.ब.ग.के., विश्वविद्यालय
** *प्रवक्ता,* मकान न. 63, प्लेज़ेन्ट वैली, ऑपोज़िट जी.आर.डी., राजपुर रोड, देहरादून-248009

भारत अनेक राज्यों में बँटा हुआ है, यहाँ पर विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, यहाँ पर विभिन्न जातियाँ तथा उपवर्ग हैं, सात मुख्य धर्म हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक सम्प्रदाय हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं, जिनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। आर्थिक विभिन्नताएँ हैं, अमीरी तथा गरीबी में अंतर है, क्षेत्रीय आकांक्षाएँ हैं, इन सबको एक सूत्र में पिरोना आवश्यक है, इनका तालमेल आवश्यक है। एक साथ विचार करने की तथा कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय समाकलन के माध्यम से ही देश की प्रगति, एकता तथा अखण्डता कायम रह सकती है। भारत को सतत्, संगठित तथा प्रजातांत्रिक देश बने रहने के लिए समस्त नागरिकों में राष्ट्रीय समाकलन का विकास बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू[1] के शब्द आज भी उतने ही सार्थक हैं जितने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे, उन्होंने कहा, *''हमें संकुचित, संकीर्ण, प्रांतीय, सांप्रदायिक तथा जातिवादी भावों को नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है। हम भारतीय गणतंत्र के नागरिकों को समाकलन निर्माण का कार्य करना है। हमें इस महान देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। साधारण शब्दों में शक्तिशाली नहीं, परंतु विचार, कार्य, संस्कृति तथा मानवता की शांतिपूर्वक दृष्टि से इसे शक्तिशाली बनाना है।''*

राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं महत्व

ब्रूवेकर[2] के अनुसार – *''राष्ट्रीयता देशप्रेम की अपेक्षा देश-भक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता के अंतर्गत स्थान के अतिरिक्त जाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं के संबंध भी आ जाते हैं।''*

राष्ट्रीय एकता राष्ट्र की सुरक्षा, अखण्डता और विकास के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व के निम्नलिखित कारण हैं –

1. देश की अखण्डता को कायम रखने के लिए।
2. शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए।
3. देश में शांति कायम रखने के लिए।
4. नागरिकों के राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए।
5. बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा के लिए।
6. जातिवाद आदि दीवारों को तोड़ने के लिए।
7. लोकतंत्र के संरक्षण के लिए।
8. राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए।
9. नागरिकों में सेवा-भाव का विकास करने के लिए।
10. देश में समरसता कायम रखने के लिए।
11. सामाजिक प्रगति के लिए।

राष्ट्रीय एकता और शिक्षा

राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा हम देश के भावी नागरिकों में आवश्यक प्रेरणाएँ और गुण उत्पन्न कर सकते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक डॉ. राधाकृष्णन[3] ने राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा के महत्त्व को इन शब्दों में प्रकट किया है –

''राष्ट्रीय एकता को छैनी, हथौड़े, ईंट व पत्थर से नहीं लाया जा सकता। इसका जन्म तो व्यक्तियों के हृदयों और मस्तिष्कों में शनै-शनै होता है, जिसका केवल मात्र एक साधन है और वह है शिक्षा। यह संभव है कि यह प्रक्रिया धीमी हो पर वह स्वयं में स्थायी एवं दृढ़ प्रक्रिया है।''

राष्ट्रीय एकता की शिक्षा वास्तव में ऐसी शिक्षा का संकेत देती है जो राष्ट्रीय एकता को प्रदान करें एवं समाज सेवा की भावना को मन

में बैठाये। राष्ट्रीय एकता एवं शिक्षा के संबंध में भावात्मक एकता समिति[4] ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि शिक्षा को एकता और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। समिति के शब्दों में ''राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यह अनुभव किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना ही नहीं है वरन् छात्र के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करना है। इसको चाहिए कि छात्रों के दृष्टिकोण को विस्तृत करे, एकता और राष्ट्रीयता तथा त्याग एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करे जिससे कि संकीर्ण दलगत स्वार्थों को विशाल देश-हित में समाहित किया जा सके।''

शिक्षा हमारे विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन करने का मुख्य साधन है। डॉ. सम्पूर्णानंद राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता समिति[5] के प्रतिवेदन में भी यह स्वीकार किया गया है कि भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे-

1. पाठ्यपुस्तकों में आवश्यक संशोधन किया जाए और उनकी सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाए कि वह राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के विकास में सहायक हो।
2. एक विद्यालय के छात्रों का एक निश्चित परिवेश हो जिससे वे अपने आपको उस विद्यालय का सदस्य समझें, जाति, धर्म अथवा वर्ग विशेष का नहीं।
3. विद्यालयों का कार्यक्रम सामुहिक सभा और प्रार्थनाओं से शुरू किया जाए और इस समय राष्ट्रीय महत्त्व की चर्चा की जाए।
4. विद्यार्थियों में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति स्थायी भाव बनाया जाए और उन्हें उनका सम्मान करने की ओर अग्रसर किया जाए।
5. विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों को श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाए।
6. विद्यालयों में समय-समय पर भावात्मक एकता पर भाषणों का आयोजन किया जाए। वर्ष में दो चार बार देश सेवा के व्रत को दोहराया जाए और शपथ ग्रहण की जाए।
7. छात्रों को देश भ्रमण और अंतर्सांस्कृतिक विकास के अवसर दिए जाएँ।
8. युवक कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय युवक समिति की स्थापना की जाए।
9. विश्वविद्यालयों में आपस में प्राध्यापकों का आदान-प्रदान हो।

राष्ट्रीय एकता और शिक्षा नीति

शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में तो कर दिया गया है लेकिन इससे समस्याएँ हल नहीं हो पायी हैं। अतः शिक्षा को संघ की सूची के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जिससे शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो सके। संपूर्ण देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का एक ही ढाँचा और संगठन होना चाहिए। सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में समरूपता होनी चाहिए। दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए। अतः पूरे राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की नीति बनायी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की भूमिका

विचार और मन ही शारीरिक कार्यों का उद्गम है। एक सफल शिक्षक अपने छात्रों के विचारों और

भावनाओं को अपने सुविचारित अध्यापन और प्रेरणात्मक कार्यों द्वारा सहज ही में राष्ट्रीय एकता की ओर उन्मुख कर सकता है। उसे इस तथ्य को हृदयमय करके चलना होगा कि राष्ट्रीयता एक भावना है जिसका निवास स्थान है हृदय और सतत् प्रयास से जब यह भावना पूर्णतया विकसित हो जाती है तो वह मनुष्य के शारीरिक कार्यों को उसी प्रकार प्रेरित करने लगती है जिस प्रकार से सारे शरीर में व्याप्त आत्मा जागृत होने पर मनुष्य का जीवन पथ आलोकमय कर देती है। आत्मतत्व के स्तर पर राष्ट्रीयता का विकास भागीरथ प्रयत्न की अपेक्षा रखता है। नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का सफल विकास ही राष्ट्रीय एकता का जनक है। एक दृढ़प्रतिज्ञ शिक्षक इस अभीष्ट को तभी प्राप्त कर सकेगा जबकि उसे अपने प्रयत्नों पर अडिग विश्वास हो और ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता को वह अपने दैनिक कार्यकलाप में सतत् अनुभव करता है। राष्ट्रीय एकता के विकास में अध्यापक निम्नलिखित प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं-

1. **राष्ट्रीय समाकलन के प्रति विश्वास और उत्साह** — अध्यापकों में राष्ट्रीय भावना और सहयोग के प्रति विश्वास और उत्साह होना चाहिए। ताकि वे छात्रों तथा अभिभावकों के मन में यह भावना उत्पन्न कर सकें।
2. **राष्ट्रीय भावना के संदर्भ में पाठ्यक्रम का अर्थ तथा अभिप्राय समझना** — विभिन्न विषय पढ़ाते समय अध्यापकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जाति, धर्म, रंग और दूरी लोगों के आपसी संबंधों में बाधक न बने। अतः हमें एक-दूसरे के भावों का आदर करना चाहिए।
3. **अध्यापक एक सजीव आदर्श के रूप में**— अध्यापकों को अपने विचारों तथा व्यवहार से छात्रों के सम्मुख राष्ट्रीय समाकलन तथा भावनात्मक समाकलन के सजीव आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए।
4. **पक्षपात रहित व्यवहार** — छात्रों के हृदयों को पक्षपात से दूषित नहीं करना चाहिए। अध्यापकों को तथ्यों की व्याख्या पक्षपात रहित रूप से करनी चाहिए।
5. **सामाजिक ज्ञान, विषय पढ़ाते समय अध्यापकों का कर्तव्य** — अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को मिथ्या प्रचार से सचेत करें जिससे उनमें पक्षपात जैसी भावना जन्म न ले सके। उन्हें तर्क द्वारा निर्णय करने का भी प्रशिक्षण देना चाहिए।
6. **बच्चों के मानसिक स्तर को उठाना** — वास्तव में द्वेष की भावना दिमाग में उपजती है। द्वेष एक मानसिक दोष है, जिसे मनोविज्ञान में एक रोग कहा गया है। इसलिए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों की ओर अधिक ध्यान दें और स्कूल के पाठ्यक्रम द्वारा उनके मानसिक विकास को स्वस्थ बनाएँ।
7. **दूसरे राज्यों का भ्रमण** — दूसरे राज्यों के भ्रमण और अध्ययन के लिए अध्यापकों को अवकाश, आर्थिक और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और अध्यापकों के आदान-प्रदान की भी व्यवस्था की जाए।
8. **पाठ्यक्रम** — सभी स्तरों पर राष्ट्रीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे छात्रों को देश, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का पर्याप्त ज्ञान हो।

सामाजिक ज्ञान में विश्व तथा देश की महान विभूतियों एवं महान ग्रंथों का वर्णन होना चाहिए।

9. **पाठ्यांतर क्रियाएँ** — राष्ट्रीय दिवसों एवं पर्वों को सामूहिक मनाना, खेलकूद, शिक्षा-यात्रा, राष्ट्र कैडेट कोर जैसी सैनिक शिक्षा, स्काउटिंग, विभिन्न भागों के विद्यार्थियों के संभावित कैंप आदि पाठ्यांतर क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।
10. **राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज का आदर** — विद्यार्थियों में राष्ट्रगीत ठीक से गाने तथा समझने तथा इसके गायन के समय उचित सम्मान की आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रीय का सम्मान करना सिखाना चाहिए तथा उसके विकास का इतिहास बताना चाहिए।
11. **प्रातः सभा** — प्रातः सभा में बच्चों को देश की एकता पर भाषण दिए जाएँ। बच्चे वर्ष में कम से कम दो बार देश भक्ति की शपथ लें।
12. **शिविरों का आयोजन करना** — समय-समय पर विद्यालय में कक्षा अध्यापक तथा अन्य अध्यापक मिलकर वर्ष में दो-तीन बार इस प्रकार के शिविरों का आयोजन करें कि विभिन्न वर्गों के छात्र इन शिविरों में भाग लें। ऐसा करने से उनमें आपसी मेल-मिलाप की भावनाओं का विकास होगा। वे एक साथ रहने की कला में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

संदर्भ

नेहरू, जवाहरलाल. 1961. *मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन.* केंद्र सरकार, 31 मई

ब्रूबेचर, टी.एस. 1947. *हिस्ट्री ऑफ़ द प्रोब्लम्स ऑफ एजुकेशन.* न्यूयार्क, मेकग्रॉ हिल, पृ. 283

राधाकृष्णन, सर्वपल्ली. 1984. *हिस्ट्री टीचिंग एण्ड नेशनल इन्टीग्रेशन.* एस.के. कोचर, पृ. 283

भारत सरकार. *रिपोर्ट ऑफ़ द कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन.* 28 सितंबर 1961, पृ. 185

सम्पूर्णानंद. 1961-62. *भावात्मक एकता समिति.* केंद्र सरकार